

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या - 1879/2013/कोटा
2. अपील संख्या - 1312/2014/कोटा

मैसर्स इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड,
झालावाड़ रोड़, कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत-प्रथम, कोटा

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या - 1313/2014/कोटा

मैसर्स राजस्थान टैक्स टाईल्स मिल्स,
भवानीमण्डी, कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत-झालावाड़

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एम.पाटौदी, अधिवक्ता
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 21.02.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा, के द्वारा तालिकानुसार पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-प्रथम, कोटा एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत झालावाड़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी") कहा जायेगा, द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23, 24 के तहत तालिकानुसार पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेशों के जरिये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्ररूप "सी", "ई" एवं "एफ" प्रपत्र को अस्वीकार किये जाने को अपीलीय अधिकारी द्वारा पृष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया गया है ।

- तालिका -

अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	अपीलीय आदेश में अंकित अपील कमांक	निर्धारण वर्ष	निर्धारण आदेश दिनांक	विवादित कर राशि	विवादित ब्याज राशि
1879/13	12.08.13	15/सीएसटी/12-13/कोटा	09-10	30.03.12	31,13,498/-	8,71,779/-
1312/14	26.05.14	02/सीएसटी/13-14/कोटा	10-11	20.03.13	4955463/-	1387530/-
1313/14	12.05.14	01/सीएसटी/13-14/झालावाड़	10-11	05.02.13	109918/-	-

2. चूंकि प्रस्तुत तीनों अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधियों के निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर, घोषणा प्ररूप "सी" प्रस्तुत नहीं करने के कारण तदनुसार मांग राशियां कायम की गयी। तत्पश्चात्, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में शेष रह गये घोषणा प्ररूप "सी" प्रस्तुत कर, पारित मूल निर्धारण आदेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, घोषणा प्ररूप "सी" एवं "ई" के संबंध में कायम की गयी कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत किये गये प्ररूप घोषणा प्ररूप "सी" को केन्द्रीय विक्रय (पंजीकरण एवम् पण्यावर्त) कर नियमों, 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानानुसार नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्वीकार कर, तालिकानुसार आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी। उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को जरिये अपीलीय आदेश क्रमशः दिनांक 26.05.2014 व 12.05.2014 के जरिये अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विवादित बकाया मांग राशि केन्द्रीय अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा प्ररूपों यथा "सी", "ई" आदि से संबंधित है, जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन्हें निर्धारण अधिकार द्वारा बिना विचार किये ही अस्वीकार कर दिया गया। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से पारित निर्धारण आदेश, जो अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये थे, के विधिक व तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित निर्धारण आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार कर दी गयी है, जो विधिसम्मत नहीं है। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कतिपय घोषणा प्ररूप "सी" प्राप्त करने के उपरांत प्रस्तुत कर, मूल निर्धारण आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में संशोधन हेतु निवेदन किया गया था। कथन किया कि केन्द्रीय विक्रय (पंजीकरण एवम् पण्यावर्त) कर नियमों, 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानों व अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी

द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, जो विधिनुकूल नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम् हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्शन लि. 94 एस.टी.सी. 410, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा मैसर्स रॉकवेल माईक्रोन मिनरल्स, प्रा.लि. राजस्थान बनाम् वा.क.अ. राजस्मंद (2012) 33 टैक्स अपडेट 246 व मैसर्स सन्नी मिनरल्स, अलवर 30 टैक्स अपडेट 282 को प्रोद्धरित कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से परिपत्र संख्या 16(97)Tax/CCT/14-15/5467 दिनांक 23.01.2015 का आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र की ओर ध्यानाकर्षित किया कि उक्त जारी परिपत्र में सरकार की मंशा स्पष्ट है घोषणा पत्र पश्चातवर्ती अवधि में भी स्वीकार किये जा सकते हैं।

7. परिपत्र अनुसार कथन किया कि घोषणा पत्र पेश कर देने से CST Act की धारा 8(1) अनुसार रियायती दर अनुमत है फिर भी अवर अधिकारियों द्वारा घोषणा पत्र स्वीकार नहीं कर विधिक भूल की गयी है। अतः अपीलें स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत घोषणा पत्र अनुसार अन्तर कर तथा ब्याज कम किये जाने के निर्देश देने की भी प्रार्थना की गयी।

8. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि CST Rules 12(7) में दिनांक 01.10.2005 से संशोधन अनुसार घोषणा पत्र तिमाही समाप्ति के 90 दिन के भीतर ही पेश किये जा सकते हैं। अपीलार्थी ने घोषणा पत्र सभी तिमाहियों के 90 दिन के बाद पेश किये हैं तथा देरी से पेश करने हेतु समयावधि भी कर निर्धारण अधिकारी से नहीं बढ़वाई गई थी इसलिए कर निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश विधिसम्मत पारित होने के कारण अपीलें अपास्त योग्य हैं।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। उद्धरित निर्णयों, परिपत्रों का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की प्रस्तुती में हुयी देरी के कारण उक्त को अस्वीकार कर, आदेश पारित किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर नियम (पंजीयन एवं पर्यावृत) 1957 के नियम 12(7) में संशोधन दिनांक 1.10.2005 को मानकर व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र फार्म तिमाही समाप्ति के 90 दिन के भीतर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश नहीं करने के आधार पर अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। सी.एस. टी. नियम के प्रावधानों के होते हुए भी केन्द्रीय अधिनियम के तहत कर निर्धारण धारा 9(2) अनुसार, सामान्य विक्रय कर अधिनियम के तहत विहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कर ब्याज तथा शास्ति निर्धारण विहित की गई है। इसलिए केन्द्रीय अधिनियम के तहत कर निर्धारण सपठित स्थानीय बिक्री कर प्रावधानों के मध्येनजर किये जाते हैं। अधिनियम की धारा 24 के तहत नियमित कर निर्धारण स्व कर निर्धारण योजना के तहत

केन्द्रीय अधिनियम के कर निर्धारण भी सम्पन्न होते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेन्ट प्रॉडक्शन लि., 1994 एस.टी.सी.410 में घोषणा प्ररूप की प्रस्तुत में हुयी देरी के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है:-

".....The aforesaid observations show that the mere use of the words "the first assessing authority" in sub-rule (7) of Rule 12 cannot and does not mean, in the context and scheme of the enactments concerned herein, that the appellate authorities do not have the power to receive Form-C in appeal. This power can of course be exercised only where sufficient cause is shown by the dealer for not filing them up to the time of assessment before the first assessing authority. If in a given case, a dealer had obtained further time from the first assessing authority and yet failed to produce them before him, it is obvious that the appellate authority would adopt a stiffer standard in judging the sufficient cause shown by the dealer for not producing them earlier. It is necessary to reiterate that receipt of those forms in appeal cannot be a matter of course; it should be allowed only where sufficient cause is established by the dealer for not producing them before the first assessing authority as contemplated by Rule 12(7). The requirement of the said sub-rule cannot be excluded consideration by the appellate court, while judging the sufficiency of the cause shown. It must be remembered that is the primary obligation of the dealer and his failure to abide by it must be properly explained."

10. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.01.2015 का भी उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नानुसार है :-

CIRCULAR-16

"Sub- Regarding submission of declaration forms under the Central Sales Tax Act, 1956.

Sub-rule (7) of Rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, empowers the Assessing Authority that if he is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the prescribed time, he may allow to furnish such declaration or certificate within such further time as he deems fit. But this has been brought to my knowledge that the some Assessing Authorities do not consider sufficient cause in the spirit of the said rule.

On this subject matter, the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Himachal Pradesh & Ors Vs. Gujarat Ambuja Cement Limited & Ors (2005) 142 STC 01 has held as under :-


"On an application being made before the Assessing Officer the exemption can be granted. The object of the Rule 12(7) is to ensure that the assessee is not denied a benefit which is available to it under law on a technical plea. The Assessing Officer is empowered to grant time. That means that the provisions requiring filing of declaration forms along with the return is a directory provision and not a mandatory provision, In a given case even the declaration forms can be filed before the appellate authority as an appeal is continuation of the assessment proceedings. In a given case, if the appellate authority is satisfied that assessee was prevented by reasonable and sufficient cause which dis-enabled him to file the forms in time, it can be accepted. It can also be accepted as additional evidence in support of the claim for deduction. In the instant case, respondent No. 1 Company made a specific request before the revisional authority which was turned down. Therefore, the question of any non-compliance with the relevant statutes does not arise. It was noted by this Court in Sahney Steel and Press Works Ltd. and Anr. V. Commercial Tax Officer and Ors. (1985) 4 SCC 173 that even in a given case, an assessee can be given an opportunity to collect Declaration forms and furnish them to the assessing authority if the challenge of the assessee to taxability of a particular transaction is turned down."

The declaration forms/certificate are proof for concessional rate of tax, and are required to assess the dealer at the applicable rate of tax at the time of assessment. In view of the above mentioned Hon'ble Supreme Court Judgement, it is directed that if a dealer submits declaration forms/certificates, even after the stipulated period along with an application mentioning the cause for delay, the Assessing Authority should accept it after ascertaining that the dealer was prevented by a sufficient cause for not furnishing the declaration forms/certificates in time.”

जिसके जरिये आयुक्त द्वारा घोषणा पत्रों के अभाव में सृजित मांग को उचित नहीं बताते हुए घोषणा पत्र पेश करने पर मांग कम किये जाने की मंशा जाहिर की गयी है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत व आयुक्त द्वारा परिपत्र दिनांक 19.07.1985 के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रस्तुत दोनों अपील प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिवस तक की अवधि में प्रस्तुत/पूर्व में प्रस्तुत घोषणा प्ररूपों की जांच कर, नियमानुसार कायम की गयी कर व अनवुर्ती ब्याज की मांग राशियों में कमी करें।

11. उक्त विवेचनानुसार तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

12. निर्णय सुनाया गया ।


21.2.2014
(मदनलाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष